

वाराणसी में कोक संयंत्र पर जबरदस्त प्रदर्शन संयंत्र को तत्काल बंद करने की मांग



उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मेंहदीगंज में 30 मार्च 2008 को 1500 से ज्यादा लोगों ने स्थानीय कोकाकोला बोटलिंग संयंत्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करके संयंत्र को तत्काल बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कम्पनी पर अवैध रूप से संयंत्र चलाने, स्थानीय जलस्रोत को सुखाने एवं जल एवं भूमि को प्रदूषित करने का गंभीर आरोप लगाया।

संयंत्र के खिलाफ रैली लेकर पहुंचे देश भर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों को पुलिस बल ने रोकने का प्रयास किया जिसका विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने संयंत्र के गेट तक पहुंचकर प्रदर्शन व सभा किया। स्थानीय ग्रामवासियों के अनुसार संयंत्र लगने के पश्चात भूजल स्तर में काफी गिरावट आयी है। भूजल बोर्ड द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों के अनुसार संयंत्र लगने के पहले सात वर्ष 1999 से 2006 तक की अवधि में भूजल स्तर में 26 फीट की गिरावट आयी है। इससे आस पास के इलाकों में कुएं एवं हैंड पंप तेजी से सूख रहे हैं। मेंहदीगंज व आस पास के इलाके में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं एवं वे लोग सिंचाई व अन्य समस्त आवश्यकताओं के लिए भूजल पर निर्भर हैं।

कोक संयंत्र के खिलाफ मेंहदीगंज में प्रदर्शन एवं रैली से पूर्व राजातलाब में 28 से 30 मार्च तक जल अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में स्थानीय संगठन लोक समिति के नन्द लाल मास्टर ने बताया कि मेंहदीगंज स्थित कोक संयंत्र प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को नकारते हुए अवैध रूप से चल रही है। सम्मेलन में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री घनश्याम ने स्वीकार किया कि मेंहदीगंज में कोक संयंत्र बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अवैध रूप से चल रहा है। उन्होंने बताया कि कम्पनी ने नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र की अवधि 27 जुलाई 2007 को समाप्त हो जाने के बावजूद कम्पनी ने अभी तक उसका नवीनीकरण नहीं कराया है। इस सन्दर्भ में बोर्ड ने कम्पनी को कानूनी नोटिस भी जारी किया है। जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की राष्ट्रीय संयोजक मेधा पाटकर ने कहा कि जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से लोगों को वंचित के बजाय इसका अधिकार उन स्थानीय समुदायों को सौंपा जाना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं।

वाराणसी जिले के राजातालाब में 28 मार्च से 30 मार्च तक हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों ने तीन दिन तक जल अधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे पानी पर जनता का अधिकार एवं राज्य एवं पंचायतों की भूमिका, जल दोहन के खिलाफ जन संघर्ष, जल संकट, जल प्रदूषण, पानी के निजीकरण एवं विकल्पों पर चर्चा की।

लोक समिति, वाराणसी द्वारा जारी रिपोर्ट का संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद (31 मार्च 2008)